न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 502/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हरप्यारी पत्नी देवीलाल माहेश्वरी के कायम मुकाम – 1. दामोदर 2. गोविंद 3. श्रीराम 4. विजय 5. रामस्वरूप 6. मंजू 7. कौशल्या (जाति माहेश्वरी, निवासी ओसियां, तह0 व जिला जोधपुर)		1. रामलाल पुत्र स्व0 हजारीमल जाति माहेश्वरी (मुन्दडा) निवासी डरबी टेक्सटाईल रोड, द्वितीय फेस बासनी, जोधपुर 2. ग्राम पंचायत गंगाणी जरिये सरपंच तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 3. ग्राम पंचायत गंगाणी जरिये सचिव पदेन ग्राम सेवक, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 4. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 01.06.2017 राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2013 अनवान हरप्यारी बनाम रामलाल वगैरा

उपस्थित–
1. श्री ओ0पी0 राठी, वकील अपीलांट्स
2. श्री देवेश बोहरा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4
4. रेस्पो0सं0 2 व 3 (प्रफोर्मा पक्षकार)

निर्णय

दिनांक 05/06/2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 02/2013 अनवान हरप्यारी बनाम रामलाल वगैरा में राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार अभियान, 2017'' में पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ओसियां स्थित ग्राम गंगाणी के नामान्तरकरण सं0 124 दिनांक 05.05.1966 में उल्लेखित खसरान की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि हजारी मल पुत्र मोतीराम कौम महाजन साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण रामलाल पुत्र हजारी मल के नाम सरपंच ग्राम पंचायत गंगाणी के द्वारा पारित किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलांट–हरप्यारी (मृतक) ने न्यायालय उपखण्ड भोपालगढ के समक्ष अंतर्गत धारा 75 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 के द्वारा मियाद बाहर होने से खारीज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया तहसील ओसियां स्थित ग्राम गंगाणी के खसरा नं0 930, 642, 678, 722 व 723 की कुल रकबा 52.5 बीघा भूमि हजारीमल पुत्र मोतीलाल महाजन के नाम दर्ज थी। खातेदार हजारी मल का स्वर्गवास वर्ष 1954 में हो गया। जिनके उत्तराधिकारियों में स्व0 हजारीमल की पत्नी रामेश्वरी बाई, पुत्र रामलाल व पुत्री हरप्यारी देवी हुए। रेस्पो0 सं0 1–रामलाल ने अपीलांट व उसकी माता की सहमति के बिना उक्त खातेदारी भूमि जरिये ना0क0 124 अकेले अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया गया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृत्तक खातेदार के वारिसान की जांच कर उक्त ना0क0 पारित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा रेस्पो0–रामलाल ने उक्त भूमि में से ख0नं0 930 की भूमि का विधि विरूद्ध बेचान कर दिया तथा शेष भमि का भी बेचान करने को आमदा है। अपीलांट की माता–रामेश्वरी बाई का दिनांक 05.03.2012 को देहांत हो गया, जिसके शोक संदेश पत्र में बहन हरप्यारी का नाम अंकित हैं। विवादित भूमि पर अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 का संयुक्त कब्जा है। अतः उक्त स्वीकृत ना0क0 से पूर्व नामान्तरकरण प्रकिया के नियम 126 से 133 की पालना नही करने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किए बिना राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वार–2017'' में मियाद बिन्दु पर ही अपील खारीज कर दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र ठोस आधार पर प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को लोक अदालत में सुनवाई का कोई नोटिस पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ता को नही दिया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी, जिसका भी अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नही किया गया व न ही उसमें वर्णित आधार पर ध्यान दिया गया। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों को केवल मियाद बिन्दू के आधार पर न्याय से वंचित नही किया जावे। अंत में अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व अपीलाधीन जैर ना0क0 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि खातेदार हजारीमल का देहान्त वर्ष 1954 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व हो गया था। उस वक्त पत्नी व पुत्रियों को सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नही थे, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट–हरप्यारी (मृतक) का हक व हिस्सा नही है। वक्त नामान्तरकरण रेस्पो0सं0 1 नाबालिग थे, जिसकी जानकारी सभी परिवारजनों को भलीभांति थी। अपीलांट–हरप्यारी (मृतक) द्वारा अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि में अपने हक व हिस्से को लेकर कोई उत्तराधिकार की घोषणा अथवा बंटवाडे का वाद प्रस्तुत नही किया। खातेदार हजारीमल के देहान्त के समय रेस्पो0सं0 1–रामलाल की उम्र 1 वर्ष से भी कम थी, इसलिए उक्त कृषि भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार कानूनन रामलाल को प्राप्त हो गये। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में रेस्पो0सं0 1 का नाम दर्ज हो जाने से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार काबिज है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लागू हुआ, उससे पूर्व पिता की सम्पति में पुत्री का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अपीलांट–हरप्यारी (मृतक) का विवाह उक्त अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गया था तथा शादी के बाद वह अपने ससुराल में रहती थी, इसलिए वादग्रस्त भूमि पर उसका कोई कब्जा नही होने से हक व हिस्सा नही बनता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिससे किसी के हक/अधिकार तय नही होते है। अतः प्रथमतः आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत अपीलें पोषणीय ही नही है, क्योंकि अपील के विवादित तथ्यों का निस्तारण बिना साक्ष्य सबूत के नही किया जा सकता है।

द्वितीय अपीलांट–हरप्यारी (मृतक) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.2.13 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसके संलग्न विलंब को कण्डोन करने हेतु प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उक्त स्वीकृत ना0क0 की जानकारी उसकी माता का निधन दिनांक 5.3.12 के बाद होना बताया है, किंतु प्रथम अपील उक्त जानकारी के 10 माह बाद प्रस्तुत की गई है, जिसमें नकल आवेदन व प्राप्ति का कोई उल्लेख नही किया गया। अर्थात विलंब का कारण मिथ्या, बनावटी, व अपूर्ण है। इस कारण विलंब का कोई ठोस आधार नही होने से प्रथम अपील परिसीमा से बाधित थी। जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2017 के द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारीज कर दी गई। जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारीज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि मृतक खातेदार हजारीमल का फौतेदगी नामान्तकरण सं0 124 दिनांक 05.05.1966 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से विधिसम्मत प्रतीत नही है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि जहां अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जावे, वहां मियाद के बिन्दु को गौण समझा जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

01.06.2017 एवं अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 124 दिनांक 05.05.1966 निरस्त किए जाते है। साथ ही उक्त प्रकरण तहसीलदार बावड़ी को वादग्रस्त खसरान की भूमि का विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर